कार्यालय कलेक्टर एवं जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार, जिला नारायणपुर (छ0ग0)
Email – dpsonpr@gmail.com
फोन नंबर – 07781–252387,

क्रमांक/124/एनपीआर/ 2016 नारायणपुर, दिनांक 25/06/2016

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) –2015 जिला नारायणपुर के 446 प्रगणक खण्डों में प्रति व्यक्ति एंट्री बाबत्

छ.ग. शासन गृह (सामान्य) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ/7–3/गृह–दो/जनगणना/2015 नारायणपुर, दिनांक 11.05.2016 के अनुक्रम में संलग्न पत्र भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक 9/26/2015–CRD(NPR) दिनांक 12.02.2016 एवं पत्र क्रमांक/9/1/2016–DPD(pt.) दिनांक 05.05.2016 के पालन में कार्य किया जाना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) -2015 जिला नारायणपुर के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुल 446 प्रगणक खण्ड निर्धारित किये गए है। जिसमें प्रति प्रगणक खण्ड में चिन्हाकित किये गये परिवारों का प्रति व्यक्ति का डाटा अद्यतन का मैदानी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्राप्त विहित निर्देशों के अनुसार 446 प्रगणक खण्डों में दर्ज हुए परिवार जिसकी Web Portal EB Summary sheet में कुल जनसंख्या के प्रति व्यक्ति रिकार्ड की डाटा एंट्री का कार्य निर्धारित Online सॉफ्टवेयर में किया जाना है। जिसके लिए 08.07.2016 तक अभिरूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित की गयी है। कार्य का विवरण एवं मापदण्ड निम्नानुसार है:–

1. समय सारणी :–
   (1) अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तारिख एवं समय – 08.07.2016 1.00 PM
   (2) अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तारिख एवं समय – 08.07.2016 3.00 PM
   (3) अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र खोलने की तारिख एवं समय – 08.07.2016 4.00 PM
2. कार्य का विवरण :–

कार्य की प्रकृति	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2015 में नारायणपुर जिले के 446 प्रगणक खण्डों में दर्ज हुए परिवार जिसकी Web Portal EB Summary sheet में कुल जनसंख्या के प्रति व्यक्ति डाटा एंट्री का कार्य निर्धारित Online सॉफ्टवेयर में किया जाना है।
प्रपत्र का मूल्य	500/– (पांच सौ रूपये मात्र)
लागत मूल्य	1. डाटा एंट्री 4/– प्रति व्यक्ति (अधिकतम) 2. डाटा एंट्री 1/– रूपये प्रति माइग्रेट आउट/मृत (अधिकतम)
जारी दिनांक	25.06.2016
जारी कर्ता	कार्यालय कलेक्टर (जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार), जिला– नारायणपुर

25/6/2016
कलेक्टर
एवं
जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार
जिला–नारायणपुर

3. कार्य की शर्तें :–

1. यह दस्तावेज अहस्तांतरणीय है।
2. प्रति व्यक्ति डाटा एंट्री हेतु 4/– रूपये की दर से अधिकतम देय होगा जबकि माइग्रेट आउट अथवा मृत व्यक्ति के डाटा एंट्री कार्य हेतु 1/– रूपये अधिकतम निर्धारित है । PDF Data / Online उपलब्ध है।
3. अमानत राशि के रूप में 15,000/– रूपये का डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर, जिला – नारायणपुर के नाम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. जिले में अनुमानतः 1.5 लाख व्यक्तियों की डाटा एंट्री अंग्रेजी एवं हिन्दी में निर्धारित सॉफ्टवेयर में किया जाना है।
5. आवेदन कर्ता द्वारा पूर्ण तथा भरा हुआ अभिरूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित आवेदन दिनांक 04.07.2016 तक व्यक्तिगत रूप से मुहर बंद लिफाफा में कलेक्टर एवं जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार जिला नारायणपुर के कार्यालय कक्ष क्रमांक 73 में अपरान्ह 3.00 बजे तक सीलबंद लिफाफा में प्रस्तुत किया सकता है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। समिति द्वारा सेवा प्रदाता निर्धारण सायं 4.00 बजे किया जावेगा।
6. आवेदन कर्ता अथवा उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए।
7. प्रस्ताव में लिखि गयी प्रत्येक प्रविष्टि पढ़ने योग्य होना चाहिए और अंकों में लिखी गयी जानकारी शब्दों में भी लिखी होनी चाहिए। प्रस्ताव में किसी प्रकार का कांट–छांट होने पर निविदाकार द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
8. आवेदनकर्ता को डाटा एंट्री कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर साक्षर होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी/हिन्दी में डाटा एंट्री का ज्ञान हों।
9. आवेदनकर्ता का दुकान/प्रतिष्ठान का पंजीकृत जीवित पंजीयन के साथ वाणिज्य कर TIN No. अंकित होना चाहिए।
10. देयकों का भुगतान सीधे ई–पेमेंट द्वारा बैंक खाता में जमा किया जावेगा। जिसमें पेन कार्ड संलग्न करना होगा।
11. आवेदन कर्ता को आवेदन प्रस्तुत करने उपलब्ध संसाधनों जैसे पर्याप्त कम्प्यूटर मशीने, इन्टरनेट कनेक्शन, एवं कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की संख्या तथा कार्य क्षमता आदि के बारे में विवरण पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. आदेश प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर डाटा एंट्री का कार्य किया जाना है।
13. उपरोक्त कार्य चार्ज अधिकारियों के कार्यालय संलग्न सूची अनुसार मुख्यालय में जाकर अथवा जिला मुख्यालय में NPR -2015 का प्रति व्यक्ति डाटा एंट्री कार्य किया जाना है।
14. किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार जिला–नारायणपुर का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदा कार्य के लिए मान्य एवं बाध्यकारी होगा।
15. किसी न्यायालयीन विवाद हेतु कार्य क्षेत्र नारायणपुर के भीतर होगा।
16. चयनित वेण्डर को कार्य हेतु नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटरों के शैक्षणिक योग्यता संबंधित डाटा एवं पैन कार्ड आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
17. चयनित वेण्डर को कार्य हेतु नियुक्त डाटा एंट्री आपरेटर के सुपर विजन हेतु एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करनी होगी जो कि निरंतर इस कार्यालय के संपर्क में रहेगा।

1/6/2016

कलेक्टर
एवं
जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार
जिला–नारायणपुर

पृ0क्रमांक/125/एनपीआर/2016 नारायणपुर, दिनांक 25/06/2016

प्रतिलिपि :–

1. **अपर सचिव,** छ.ग. शासन गृह (जनगणना) विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
2. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़, गोविन्द सारंग भवन तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर ।
3. जिला सूचना अधिकारी, जिला – नारायणपुर को सूचनार्थ लेख है कि उपरोक्तानुसार निविदा की प्रारूप राज्य की वेबसाइट www.cgstate.gov.in एवं जिला की वेबसाइट www.cgnarayanpur.gov.in में अपलोड करें।
4. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग, जिला – नारायणपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि तीन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें अथवा प्रेस विज्ञप्ति देवे।

25/6/2016

कलेक्टर
एवं
जिला नागरिक पंजीयन रजिस्ट्रार
जिला–नारायणपुर